



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schoolseducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

विद्यया, सस्कृत्या चक्रं प्रियतर
Education, Culture and Livelihood
School Education
शिक्षणं मा अज्ञानिन्या
Lead me from Darkness to Light

आदेश क्रमांक 28/3-2011PS(E-2)

दिनांक, पंचकूला -06-06-2017

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए New Horizon Public School, Lilodh, Rewari को कक्षा 1 से 8 तक CBSE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त सहित दी जाती है कि यह

सम्बद्धता विद्यालय का स्तर बढ़ाने के लिए मान्य नहीं होगी। विद्यालय का स्तर बढ़ाने हेतु मान्यता के लिए अलग से आवेदन

किया जायेगा। विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 28/3-2011PS(E-2) दिनांक 24-06-2015 में निहित शर्तों तथा

समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड़ नं० 2903/RWR/8th/BOSE/2015 है।

DR. VANDANA DISODIA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMIN
O/o DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

दिनांक पंचकूला -- 8/6/17

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक समीति, Shiva Education & Welfare Society, Vill. Lilodh, Tehsil-Kosli (Rewari).
2. सचिव, CBSE, New Delhi.
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, Bhiwani.
4. जिला शिक्षा अधिकारी, Rewari.
5. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी Rewari.
6. Headmaster, New Horizon Public School, Lilodh (Rewari).
7. टेक्नोलोजी आफिसर (लोकल)।


SUPERINTENDENT PS

FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA